छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

दूरभाष 0771–2331524, फैक्स–2446556 वेबसाइट : www.psc.cg.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक 665/02/2023/प.गो. रायपुर, दिनांक 27/02/2023

–:: विज्ञप्ति ::–

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 29/2022/परीक्षा/दिनांक 08/12/2022 प्रकाशन की तिथि 14/12/2022, शुद्धि पत्र क्रमांक 18/2022/परीक्षा/दिनांक 09/12/2022 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2022 के मॉडल उत्तर जारी किए जा चुके हैं, जो आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्नों अथवा उत्तर विकल्प/विकल्पों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे निर्धारित तिथि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल ऑनलाइन ही दर्ज कर सकते हैं।

ऑनलाइन आपत्ति संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नवत है–

- ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की प्रारंभ तिथि – **28 फरवरी 2023**
- ऑनलाइन आपत्ति एवं संबंधित प्रपत्र व प्रमाण स्वीकार करने की अंतिम तिथि – **09 मार्च 2023**

ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

27/2/2023

परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2022
के मॉडल उत्तर के संबंध में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश

महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की प्रारंभ तिथि	–	28 फरवरी 2023
ऑनलाइन आपत्ति एवं संबंधित प्रपत्र व प्रमाण स्वीकार करने की अंतिम तिथि	–	09 मार्च 2023

ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश

1. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से मॉडल उत्तर के संदर्भ में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
2. अभ्यर्थी को Activity Section में जाकर Objection Filing पर Click करना होगा। Click करने पर ऑनलाइन आपत्ति प्रविष्टि हेतु एक नया पेज खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी परीक्षा का नाम, प्रश्न–पत्र, सेट तथा प्रश्न–क्रमांक का चयन करेंगे, तत्पश्चात आपत्ति के प्रकार का चयन करेंगे, आपत्ति के प्रकार निम्नवत हो सकते हैं –
   a. All Answer Options for questions are incorrect. (प्रश्न के समस्त उत्तर विकल्प गलत है।)
   b. Answer Option issued by Commission is incorrect. (आयोग द्वारा जारी उत्तर विकल्प गलत है।)
   c. More than one Answer Options are correct. (एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है।)
   d. Question is wrong. (प्रश्न गलत है।)
   e. Question is out of syllabus. (प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का है।)
   f. There is difference in Hindi and English translation of Question. (प्रश्न के हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता है।)
3. किसी भी प्रकार की आपत्ति के चयन के पश्चात अभ्यर्थी को आपत्ति का कारण संबंधित बॉक्स में दर्ज करना होगा, इसके बाद आपत्ति के संदर्भ में प्रमाण स्वरुप आयोग को प्रेषित किए जाने वाले सुसंगत अभिलेख के स्रोत के विवरण का चयन कर स्रोत के संबंध में प्रविष्टि करनी होगी जिसके अंतर्गत प्रमाण स्वरुप प्रयुक्त अभिलेख से संबंधित पुस्तक/समाचार पत्र/पत्रिका का नाम अथवा वेबसाईट का लिंक लिखने के पश्चात, लेखक का नाम, संस्करण/प्रकाशन तिथि, संदर्भ पृष्ठों की संख्या इत्यादि का उल्लेख करना होगा तथा संबंधित पृष्ठों की फोटोप्रति ऑनलाइन आपत्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त आपत्ति विवरण/Objection Details के साथ आयोग को प्रेषित करनी होगी। यदि प्रमाण स्वरुप प्रेषित किया जाने वाला अभिलेख प्रतिष्ठित वेबसाइट से लिया गया हो तो अभ्यर्थी को अभिलेख के लिंक का उल्लेख करना होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष रुप से ध्यान रखें कि उनके द्वारा अपनी आपत्ति के समर्थन में यदि प्रमाण वेबसाइट से लिया गया हो तो आयोग को उस वेबसाइट का अथवा कंटेन्ट का लिंक न प्रेषित किया जाए अपितु वेबसाइट से कंटेन्ट को डाउनलोड कर प्रिंट कर आयोग को प्रेषित करें।
4. ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के बाद Add (जोड़े) बटन की सहायता से एक से अधिक आपत्तियां दर्ज की जा सकती है। अभ्यर्थी उन आपत्तियों को हटा सकता है, जिसे उसने गलती से दर्ज किया हो। अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों का विवरण उसे वेब पेज के निचले हिस्से पर दिखाई देगा। आपत्तियों के विवरण के अंत में उपलब्ध Save (सुरक्षित करें) बटन के प्रयोग से अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्तियां जमा कर सकता है।
5. ऑनलाइन आपत्तियां जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान संबंधी पेज प्राप्त होगा, जहां Pay Now बटन के माध्यम से समस्त ऑनलाइन आपत्तियों के शुल्क (50/–प्रति प्रश्न) भुगतान की सुविधा प्राप्त होगी।

6. समस्त ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करने तथा शुल्क का भुगतान करने के पश्चात अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी Dashboard में Activity Section में जाकर Download Acknowledgement को Click कर प्रश्नवार पावती प्रिंट कर सकते हैं।
7. अभ्यर्थियों को दर्ज की गई आपत्तियों से संबंधित प्रश्नवार रसीद/पावती का प्रिंट प्राप्त किया जाना होगा, प्रत्येक रसीद/पावती के साथ केवल प्रमाण स्वरूप दर्ज उन्हीं दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा, जो रसीद/पावती पर अंकित प्रश्न क्रमांक से संबंधित हों। रसीद/पावती के साथ प्रमाण स्वरूप दर्ज दस्तावेजों को संलग्न करने के पश्चात पेज नम्बरिंग की जानी होगी। **दावा आपत्तियों के समर्थन में भेजे जाने वाले दस्तावेजों को आयोग में उपस्थित होकर जमा करें अथवा डाक के माध्यम से आयोग के पते "परीक्षा नियंत्रक, छ.ग.लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) पिन–492002" पर प्रेषित करें।**
8. प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति हेतु पृथक–पृथक दस्तावेजों का लिफाफा प्रेषित करना होगा। लिफाफे पर परीक्षा का नाम, प्रश्नपत्र **(Law)** अंकित करना होगा तथा प्रश्नपत्र का सेट (A/B/C/D) एवं प्रश्न क्रमांक (1/2/3/.......) भी अंकित करना होगा।

   यथा : लिफाफे के ऊपर अंकित करें –

परीक्षा का नाम	–	....
प्रश्नपत्र	–	....
सेट	–	....
प्रश्न क्रमांक	–	....

   प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति हेतु पृथक–पृथक लिफाफा प्रेषित नहीं करने पर दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न रूपये 50/– दावा–आपत्ति शुल्क का भुगतान करना होगा। पोर्टल शुल्क एवं पोर्टल शुल्क पर जी.एस.टी. का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा स्वयं किया जाता है। एक बार लॉगिन कर अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्नों के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते है। **एक बार शुल्क भुगतान कर देने के पश्चात अभ्यर्थी दोबारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेंगे।**
10. कार्ड/नेटबैंकिंग के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिग के दौरान फिशिंग/हैंकिग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
11. अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान न किए जाने, एक ही प्रश्न–पत्र में अलग–अलग प्रश्न–पत्र सेट की प्रविष्टि करने, आयोग को आपत्ति के समर्थन में कंडिका 7 के अनुसार नियत तिथि तक दस्तावेज प्रेषित न करने तथा ऑनलाइन दावा आपत्ति संबंधी निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही न करने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा दर्ज आपत्ति स्वयंमेव खारिज हो जाएगी एवं इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का आवेदन/अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

27/2/2025

परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2022

MODEL ANSWER

LAW

Q. N.	SET - A	SET - B	SET - C	SET - D	Q. N.	SET - A	SET - B	SET - C	SET - D
1	D	A	B	B	51	B	B	C	A
2	A	D	D	D	52	C	D	D	D
3	C	A	B	C	53	B	C	B	B
4	B	D	C	D	54	D	D	A	B
5	C	B	A	C	55	B	C	C	C
6	B	B	C	D	56	C	D	C	A
7	C	C	D	B	57	A	B	C	A
8	D	A	C	A	58	C	A	D	B
9	C	A	A	C	59	D	C	A	D
10	A	B	A	C	60	C	C	D	B
11	A	D	D	C	61	A	C	B	A
12	D	B	A	D	62	A	D	A	B
13	B	A	D	A	63	D	A	C	A
14	C	B	D	D	64	A	D	C	B
15	D	A	D	B	65	D	B	C	A
16	B	B	C	A	66	D	A	B	D
17	A	A	A	C	67	D	C	B	B
18	B	D	D	C	68	C	C	A	C
19	B	B	B	C	69	A	C	D	D
20	C	C	D	B	70	D	B	C	A
21	C	D	D	B	71	B	B	D	A
22	A	A	B	A	72	D	A	D	A
23	D	A	D	D	73	D	D	A	B
24	B	A	A	C	74	B	C	D	D
25	A	B	C	D	75	B	D	A	B
26	D	D	B	D	76	D	D	D	C
27	A	B	C	B	77	C	D	B	D
28	D	C	B	D	78	D	A	B	A
29	B	B	C	B	79	C	C	C	C
30	B	D	D	C	80	D	B	A	B
31	C	B	C	A	81	B	C	A	C
32	A	C	A	C	82	A	B	B	B
33	A	A	A	D	83	C	C	D	C
34	B	C	D	C	84	C	D	B	D
35	D	D	B	A	85	C	C	A	C
36	B	C	C	A	86	D	A	B	A
37	A	A	D	D	87	A	A	A	A
38	B	A	B	A	88	D	D	B	D
39	A	D	A	D	89	B	B	A	B
40	B	A	B	D	90	A	C	D	C
41	A	D	B	D	91	C	D	B	D
42	D	D	C	C	92	C	B	C	B
43	B	D	C	A	93	C	A	D	A
44	C	C	A	D	94	B	B	A	B
45	D	A	D	B	95	B	B	A	B
46	A	D	B	D	96	A	C	A	C
47	A	B	B	D	97	D	C	B	C
48	A	D	D	B	98	C	A	D	A
49	B	D	C	A	99	D	D	B	D
50	D	B	D	D	100	D	B	C	B

27/2/2023

परीक्षा नियंत्रक

छ.ग. लोक सेवा आयोग

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)